श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2018 को सम्पन्न तकनीकी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी में संधारित।

कार्यवाही

बैठक में निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) **भवन प्रमण्डल** :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बक्सर को बक्सर जिला अन्तर्गत पदाधिकारियों के आवास निर्माण एवं संयुक्त श्रम भवन निर्माण कार्य की जाँच कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया। जाँच के क्रम में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके आलोक में कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गय। इस भवन की सैम्पल प्राप्त कर सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच भी कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम जारी कर उसी के अनुसार निरीक्षण करें। प्रखण्ड कार्यालयों के भवनों का भौतिक निरीक्षण करने तथा उसकी मरम्मति एवं प्रखण्ड कार्यालय के चहारदीवारी के निर्माण का डी0पी0आर0 बनाकर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। शहीद स्मारक, डुमरांव में हुए कार्यो की पुनः समीक्षा करने को निदेश दिया गया। यदि कोई कार्य अवशेष हो तो उसे शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

विभागीय कार्यो की समीक्षा की गई। चक्की में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ प्रारम्भ बताया गया कि परन्तु प्रतिवेदन में इसकी विवरणी अंकित नहीं की गई है। निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन में सुधार करें। महिला आई0टी0आई0 एवं इटाढ़ी प्रखण्ड में पॉलीटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ बताया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी बड़े योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्रीय कारा से संबंधित अवशेष कार्यो को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को अवगत कराया गया कि बक्सर जिला के विभिन्न विभागों की योजनाओं यथा चौसा में चौसा गढ़ किला का कार्य, प्रखण्ड कार्यालय, परिवहन कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण एवं कल्याण विभाग के छात्रावास आदि निर्माण की योजनाओं के बारे में अगली बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल)

(2) **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल** :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि आपदा के अन्तर्गत चापाकल निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करें। नया भोजपुर में जलापूर्त्ति योजना में कार्य प्रगति में बताया गया। निदेशित किया गया कि इस माह में कार्य पूर्ण करायें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति टोला में मिनी जलापूर्त्ति योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 3 योजनाएँ छोड़कर शेष योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

निदेशित किया गया कि इन तीन योजनाओं के कार्य में प्रगति लाते हुए शीघ्र पूर्ण करायें। पुराना भोजपुर जलापूर्ति योजना के बारे में बताया गया कि एक सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है। निदेशित किया गया कि इसकी मरम्मति कराकर चालू करायें। साथ ही अगली बैठक में कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल को भी बैठक में आने हेतु सूचित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा इस हेतु अपने स्तर से भी कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल को सूचित करेंगे।

मुख्यमंत्री चापाकल योजना की समीक्षा की गई। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2015–16 की कुल 45 योजनाएँ लम्बित है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि लम्बित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करायें। कार्य न करने वाले एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई भी करें।

कार्यपालक अभियंता को निदेशित कि कनीय अभियंताओं को प्रखण्डों में भेज कर खराब पड़े चापाकलों की जानकारी प्राप्त कर उसे मरम्मति करायें। साथ ही सुखाड़ हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे कि सूखे की स्थिति में किस क्षेत्र में चापाकल लगाने/टैंकर के माध्यम से पीने की पानी की किस प्रकार की व्यवस्था उनके विभाग के स्तर से की जाएगी।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल/ कार्य0 अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल/प्रभारी पदा0, विकास शाखा)

(3) <u>पुल निर्माण निगम</u> :– सहायक अभियंता, पुल निर्माण निगम के द्वारा बताया गया कि बक्सर जिला में वर्तमान में 03 योजनाएँ क्रमशः बनारपुर, गरहत्था एवं बड़की कोठिया में चल रही है। इनमें से बनारपुर में एक माह के अन्दर कार्य पूर्ण हो जाएगा। निदेशित किया गया कि शेष दो योजनाओं के कार्य में प्रगति लाते हुए शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनु0: पुल निर्माण निगम)

(4) <u>स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, बक्सर</u> :– समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रंण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा कितने योजनाओं की प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया तथा कितने योजनाओं में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कराई गई। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि वैसे योजनाएँ जिनमें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनमें अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करायें, ~~अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।~~

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत माननीय विधानमण्डल सदस्यों के अनुशंसा पर कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की 35 एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 की 113 योजनाएँ लम्बित है। कार्यपालक अभियंता को लम्बित योजनाओं में कार्य में प्रगति लाते हुए शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माननीय विधान पार्षद श्री संजीव श्याम सिंह के विकास मद में 31.77 लाख रुपये उपलब्ध है, परन्तु एक भी अनुशंसा प्राप्त नहीं है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है।

जिला योजना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि माननीय पार्षद को इसके संबंध में अवगत कराते योजनाओं के अनुशंसा हेतु स्मारित करें। इसी तरह माननीय विधान सभा सदस्य श्री ददन सिंह को भी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवगत करायें क्योंकि उनकी मद की काफी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हो पाई है।

पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 08 स्थानों पर भूमि विवाद के कारण योजनाओं में कार्य बाधित है। निदेशित किया गया कि दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी से स्वयं वार्ता कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान करायें। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि रघुनाथपुर तथा केसठ में इसी माह में कार्य पूर्ण हो जाएगा। निदेशित किया गया कि सभी पूर्ण पंचायत सरकार भवन का जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण करें तथा त्रुटिरहित रहने की स्थिति में उसे उसी समय पंचायत सचिव को हस्तानांतरण करायें। यदि कार्य में त्रुटि हो तो अविलम्ब उसे संबंधित एजेंसी के माध्यम से ठीक करायें।

ई–किसान भवन निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि चौसा एवं केसठ में ई–किसान भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा चौसा में वर्तमान में प्लास्टर कार्य चल रहा है। निदेशित किया गया कि कार्य में प्रगति लाकर शीघ्र पूर्ण करायें।

कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में 07 योजनाएँ चल रही है। इनमें 5 भूमि विवाद के कारण लम्बित बताया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी एवं कनीय अभियंता को भेज कर कब्रिस्तान घेराबंदी की स्थल की जांच करायें तथा समस्या का समाधान करायें। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया कि इस संबंध में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।

मंदिर घेराबंदी की कुल पाँच योजनाएँ ली गई जिसमें से 1 में पूर्ण हो चुकी है तथा दो योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा दो योजनाओं में भूमि विवाद है। इनमें एक में चौसा में न्यायालय वाद के कारण कार्य रूका हुआ है। दूसरी योजना राजपुर के मधुबनी में है, जिसमें सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी को सूचित किया गया है। निदेशित किया गया कि सीमांकन वाले मामले में अंचल अधिकारी, राजपुर से एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करें।

सांसद मद से योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। माननीय लोक सभा सांसद की 27 एवं माननीय राज्यसभा सांसद की 29 योजनाएँ अपूर्ण है। कार्यपालक अभियंता को इन अपूर्ण योजनाओं को कार्य में प्रगति लाकर शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माननीय राज्य सभा सदस्य श्री अली अनवर अंसारी, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री पवन कुमार वर्मा एवं श्री गोपाल नारायण सिंह की कुल 09 योजनाएँ लम्बित है। कार्यपालक

अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर को कार्य में प्रगति लाते हुए शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0: अंचल अधिकारी, राजपुर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, बक्सर/जिला योजना पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(5) <u>पथ प्रमण्डल</u> :– पथ प्रमण्डल के अन्तर्गत 19 पथों में मरम्मति कार्य हेतु लिया गया है। निमेज–सेमरा पथ के बारे में बताया गया कि फाइनेंसियल बीड खुलने वाला है।

(6) <u>लघु सिंचाई</u> :– समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 156 नलकूप चालू अवस्था में है। निदेशित किया गया कि प्रति सप्ताह चालू नलकूपों का कनीय अभियंताओं के माध्यम से भौतिक निरीक्षण करायें। बिहार शताब्दी नलकूप योजना की प्रगति की समीक्षा गई। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 74 प्रस्ताव भेजे गये थे, जिसमें 57 में आपत्ति प्राप्त हुआ था। इन सभी का आपत्ति का निराकरण कर पुनः भेज दिया दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई को सिमरी से संबंधित नलकूपों के चालू कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई)

(7) <u>नगर विकास</u> :– कार्यपालक अभियंता, डुडा, बक्सर बैठक में अनुपस्थित थे। उप विकास आयुक्त को निदेशित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कारण पृच्छा प्राप्त करें। साथ ही उन्हें सूचित कर अविलम्ब बुलायें तथा किला मैदान में पार्क निर्माण की योजनाओं के बारें में जानकारी देने हेतु निदेशित करें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, डुडा/उप विकास आयुक्त)

(8) <u>ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरांव</u> :– ग्राम टोला सम्पर्क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, डुमरांव द्वारा 41 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना है। प्रथम चरण में 20 योजनाओं का कार्यान्वयन की जानी है, जिसमें से सभी में कार्य प्रारम्भ है तथा 03 में कार्य पूर्ण हो चुका है। अगले वित्तीय वर्ष में 21 योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है। इनमें 16 योजनाओं का डी0पी0आर0 बन गया है। एक योजना में किसी अन्य मद से चौगाई में रोड का निर्माण हो चुका है। शेष 04 योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड स्तर से जो एक योजना थाना के पास कार्यान्वित की गई उसमें मात्र 04 ईंच ही ढलाई हुई है जो उचित नहीं है। निदेशित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजें ।

मरम्मति मद की 35 योजनाएँ ली गई है, जिसमें 8 में कार्य पूर्ण तथा 27 में कार्य प्रगति पर है। इनमें से 15 योजनाएँ 31.03.2018 तक पूर्ण हो जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 25 योजनाओं में

13 में कार्य पूर्ण तथा 12 प्रगति पर है। निदेशित किया गया कि लम्बित योजनाओं के कार्य में प्रगति लाते हुए ससमय पूर्ण करायें। साथ ही कार्यरत योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजें।

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की समीक्षा की गई। सेतु निर्माण की दो योजना क्रमशः पीड़िया टोला एवं मनोहरपुर में लम्बित है। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं में एकरारनामा विखण्डित किया है तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। उप विकास आयुक्त, बक्सर को निदेशित किया जाता है कि उक्त योजनाओं के संबंध में संचिका में प्रस्ताव दो दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

(अनु0: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौगाई/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरांव/उप विकास आयुक्त)

(9) <u>ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर</u> :– कार्यपालक अभियंता बैठक में अनुपस्थित थे। उप विकास आयुक्त को कार्यपालक अभियंता से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में उनसे कारण पृच्छा करने का निदेश दिया जाता है। सहायक अभियंता बैठक में उपस्थित थे। उनसे योजनाओं की समीक्षा की गई। टोला सम्पर्क योजना की समीक्षा की गई। ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर कुल लक्ष्य 41 है तथा इस वित्तीय वर्ष 20 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना है। सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 20 में से 16 योजनाओं में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। निदेशित किया गया कि शेष योजनाओं में कार्य प्रारम्भ करायें। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष की योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को भेजें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 06 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत विश्व बैंक, नाबार्ड एवं सामान्य को मिलाकर कुल 21 योजनाएँ लम्बित है, जिसमें 18 में कार्य प्रगति में है तथा 03 एकरारनामा की प्रक्रिया में है। सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि ये योजनाओं अपने समय पर पूर्ण हो जायेगी। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि इन योजनाओं की समीक्षा करें तथा कार्य में प्रगति लाते हुए ससमय पूर्ण करायें।

मरम्मति मद की 12 योजनाओं में कार्य लम्बित है। इन 12 में से 08 में कार्य प्रगति पर तथा 04 एकरारनामा की प्रक्रिया में बताया गया। निदेशित किया गया कि एकरारनामा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराते हुए कार्य प्रारम्भ करायें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बक्सर/उप विकास आयुक्त)

(10) <u>बाढ़ नियंत्रण</u> :– बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल के अन्तर्गत 09 स्थलों पर बाढ निरोधक कार्य कराये जा रहे है। सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि इन योजनाओं का चयन विभागीय स्तर से किया गया है। जिला प्रशासन के स्तर से किसी योजना की अनुशंसा की जाती है तो उन योजनाओं का भी कार्यान्वयन कराया जाना है। बाढ़ के दौरान कई स्थलों पर कटाव की स्थिति पैदा हो जाती है तथा कई स्थलों पर तटबंध के कमजोर होने की शिकायतें प्राप्त होती है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को

निदेशित किया जाता है कि विगत बाढ़ को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जाने वाले स्थलों को चिन्हित कर उसकी सूची एक सप्ताह के अन्दर भेजें ताकि उसे बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल को कार्रवाई हेतु भेजा जा सके। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा इस संबंध में दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0 : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा)

(11) <u>सोन नहर प्रमण्डल</u> :– कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि भाखवां पुल का डी0पी0आर0 विभाग को भेजा गया है।

(12) <u>विद्युत</u> :– कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना के कार्यो की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि एन0एच0 84 के चौड़ीकरण क्षेत्र में विद्युत पोल नहीं लगायें। यदि लगाये गये हो तो अविलम्ब हटा लें। साथ ही ऐसे विद्युत पोल जो यातायात के बाधक है, उसे शिफ्ट कराने की कार्रवाई करें।

(अनु0: कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति/विद्युत परियोजना)

(13) <u>भवन निर्माण निगम</u> :– भवन निर्माण निगम के कोई अभियंता बैठक में उपस्थित नहीं थे। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा को निदेशित किया जाता है कि अगामी बैठक भवन निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता को प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे।

(अनु0 : प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा)

(14) <u>माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं का अनुपालन</u> :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा विभिन्न मौकों पर बक्सर जिला में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु घोषणा की गई, जिसका अनुपालन संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाना है। बक्सर किला के मरम्मति एवं संरक्षण के आलोक में की गई कार्रवाई का अद्यतन प्रतिवदेन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर को भेजने का निदेश दिया गया।

बैकुण्ठपुर (इटाढ़ी प्रखण्ड) इटौन्हा घाट एवं सिकरौल लख पर ठोरा नदी पर पुल निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरांव को अगले बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा को निदेशित किया गया कि राजपुर किला तथा चौसा प्रखण्ड अन्तर्गत म्यूयिजम निर्माण के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

(अनु0 : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, डुमरांव/प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा)

(15) <u>अन्य महत्त्वपूर्ण निदेश</u> :– सभी कार्यपालक अभियंता को निम्नांकित महत्त्वपूर्ण निदेश दिये गये–

(i) अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम जारी कर अपने योजनाओं का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भेजें।

(ii) अपने मुख्यालय में आवासन करें तथा बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।

(iii) दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का अवलोकन करें तथा यदि उनके विभागीय योजनाओं के बारे में प्रतिकूल समाचार प्रकाशित होता है, तो उसकी अविलम्ब जांच कर कार्रवाई करें तथा प्रतिवेदन भेजें।

15/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 05-0198 /वि0 दिनांक 16.3.18

प्रतिलिपि : प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर/सभी अंचल अधिकारी, बक्सर जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी कार्यपालक अभियंता, बक्सर जिला/परियोजना अभियंता, पुल निर्माण निगम/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण निगम/जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव/प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, बक्सर/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।